

# मध्यप्रदेश विधान सभा

करवारी—अप्रैल, 1994 संग्रह

किनिक बगरी सूची

शुभवार, दिनांक 4 मार्च, 1994 (फाल्गुन 13, 1915)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, राज्य मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग, कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619-क की उपधारा (३) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड का अष्टम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, राज्यमंत्री ऊर्जा, कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619-क की उपधारा (३) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. रामलखन सिंह (भिण्ड), सदस्य, मुरैना की चैबल नहर की निचली मुख्य नहर में रिसाव से फसलों की हुई क्षति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री कंकर मुंजारे, बाबूलाल गौर, बच्चवन नायक, सदस्य, रीवा में पुलिस कर्मियों द्वारा विधायक एवं उनके कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्री रघुराज सिंह तोमर, सदस्य, खण्डवा जिले के ग्राम सिवना में हुई हत्या की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम खेड़ा में दस्युदल द्वारा दो अपड़तों की हत्या करने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(5) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, रायगढ़ जिले के ग्राम बारोलारिया में एक आदिवासी की पुलिस पिटाई से हुई मृत्यु की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(6) श्री गोपाल भार्गव, सदस्य, सतना जिला जेल में कैदियों की हुई मृत्यु की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(7) श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री गोपाल भार्गव, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के बरेली नगर में लूट की घटित घटनाओं की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(8) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य, रायगढ़ जिले में जलाशयों हेतु अर्जित भूमि का मुआवजा न दिये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(9) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, बालाघाट बन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा मजदूरी की राशि का भुगतान न करने की ओर बन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(10) श्री रघुनन्दन शर्मा, सदस्य, रायगढ़ जिले के ग्राम कानरखेड़ी में एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

#### ४. अध्यादेश के अनुमोदन का संकल्प

श्री गौरी शंकर बिसेन, डॉ. रमन सिंह, श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, श्री बाबूलाल गौर, श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"यह सदन मध्यप्रदेश के राज्यपाल के द्वारा बनाये गये मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1994 (क्रमांक 2 सन् 1994) का अनुमोदन करता है।"

#### निर्धारित समय

१ घन्टा

#### ५. शासकीय विधि विवरण कार्य

श्री मुकेश नाथक, राज्य मंत्री उच्च शिक्षा, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 4 सन् 1994) पर विचार किया जाय।"

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

#### ६. अशासकीय संकल्प

३० मि.

(१) श्री बनवारीलाल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"सदन का यह मत है कि अस्पतालों में अधिकार प्राप्त अशासकीय निगरानी एवं सत्ताहकार समितियाँ बनायी जायें जो सर्वदलीय हों एवं मरीजों के हित में निगरानी करें जिनकी बैठक प्रतिमाह अनिवार्य हो।"

२० मि.

(२) श्री गोपाल भार्गव, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"सदन का यह मत है कि प्रदेश के किसानों की फसल की रक्षार्थ एवं उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिलाने हेतु फसल की "खलिहान दुर्घटना" बीमा योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश में लागू की जाय।"

३० मि.

(३) श्री बुजमोहन अग्रवाल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश में शासकीय उच्चतर माध्यमिक हाई स्कूलों, माध्यमिक एवं प्राथमिक शालाओं में जहाँ शिक्षकों की कमी है, शिक्षित डेरोजगारों से मानवेय पर अध्यापन कार्य कराने के लिये संबंधित पंचायतों को अनुदान राशि राज्य शासन द्वारा आवंटित की जाय।"

३० मि.

(४) श्री रामलखन सिंह (त्यौथर), सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"सदन का यह मत है कि प्रदेश की समस्त अशासकीय प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाईस्कूल व हायर सेकेन्डरी स्कूलों को शासन द्वारा अधिग्रहीत कर समस्त अशासकीय शिक्षकों को कोषालय से वेतन भुगतान कराया जाय।"

४० मि.

(५) सर्वश्री गोपाल परमार, छतराम देवांगन, रविन्द्र चौबे, पुन्नलाल मोहले, बनवारीलाल, नानालाल पाटीदार, जालम सिंह पटेल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश के विस्तृत क्षेत्र, भाषा, संस्कृति, परम्परायें, कानून व्यवस्था तथा जनता की सुविधा को इटिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ क्षेत्र को अलग कर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाये जाने की शासन आवश्यक पहल करे।"

#### ७. नियम ५२ के अधीन आवृत्ति की जर्दा

(१) दिनांक २२ फरवरी, 1994 को पश्चालन मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या ३ (क्रमांक ७९) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री रामेश्वर अखण्ड, सदस्य चर्चा उठायेंगे।

(२) दिनांक २५ फरवरी, 1994 को स्कूल शिक्षा मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या १३ (क्रमांक ७०४) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री रामकिशोर शुक्ल, सदस्य चर्चा उठायेंगे।

भोपाल :  
दिनांक : ३ मार्च, 1994

शीता खात्मा  
सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा